कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (25963)
उत्तरांचल वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

दूरभाष :–0135–2657610, फैक्स :–0135–2655488, ई–मेलः vanvikas12@gmail.com

ई–मेलः uafdcepf@gmail.com, मो0 – 9756604369

पत्रांक–एफ.– 1545 /ई0पी0एफ0 सलाहकार   दिनांक 18 /07 /2026

"कोटेशन आमंत्रण"

उत्तराखण्ड वन विकास निगम का अपना एक स्वायत्त ई.पी.एफ. ट्रस्ट है, जो EPFO द्वारा एक Exempted Trust (छूट प्राप्त ट्रस्ट) के रूप में विनियमित है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कड़े नियमों एवं निवेश पैटर्न (Investment Pattern) के अनुसार, ट्रस्ट की कुल जमा पूंजी को सुरक्षित एवं लाभदायक वित्तीय साधनों (जैसे– सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों (Debt Instruments), और सेबी विनियमित म्यूचुअल फंड/ETF) में निवेश करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है।

वर्तमान में वित्तीय बाजारों (Money Market & Stock Market) के उतार–चढ़ाव, सेबी (SEBI) के बदलते नियमों तथा EPFO की नवीनतम गाइडलाइंस (ई.पी.एफ. योजना 2026/एस.ओ.पी.) के अनुपालन हेतु एक पेशेवर एवं सेबी पंजीकृत वित्तीय/ईपीएफओ सलाहकार की सेवाएं 01 वर्ष हेतु दिनांक 29.07.2026 समय 12 बजे तक कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक फर्म/संस्था उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः उक्त कार्य हेतु अपनी कोटेशन निम्न प्रारूप में सील्ड लिफाफे को सचिव, ई0पी0एफ0 ट्रस्ट, ई0पी0एफ0 अनुभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून के पते पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें:-

उक्त कोटेशन अनुरोध (Request for Quotation) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून के सूचना पट पर भी चस्पा है।

क्रं.सं.	कार्य	वार्षिक पारिश्रमिक (Annual Mantinance Charge)		
		पारिश्रमिक	(जी0एस0टी0)	योग
	धनराशि निवेश किया जाना, ई.पी.एफ.ओ. से सम्बन्धित कार्य एवं वित्तीय मामलों हेतु सलाहकार।	शब्दो में .. अंकों में ..	शब्दो में .. अंकों में ..	शब्दो में .. अंकों में ..

(कृष्ण कुमार)
सचिव
ई0पी0एफ0 ट्रस्ट

Copy to – IT Cell

कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (25963)
उत्तरांचल वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय – अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488, ई-मेलः vanvikas12@gmail.com, uafdcepf@gmail.com

पत्रांक-एफ.- 1545 /ई0पी0एफ0 सलाहकार दिनांक 18/07/2026

कोटेशन आमंत्रण (Quotation Invitation) की मुख्य शर्तें (Condition):

धनराशि निवेश किये जाने, ई.पी.एफ.ओ. से सम्बन्धित कार्य एवं वित्तीय मामलों हेतु एक वर्ष के लिए सलाहकार रखे जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. फर्म का प्रधान/शाखा कार्यालय देहरादून में होना आवश्यक है।
2. फर्म को किसी भी सरकारी विभाग, पी.एस.यू. या स्वायत्त निकाय के 'EPFO Exempted Trust' के निवेश एवं ई.पी.एफ.ओ. मामलों में न्यूनतम गत 03 वर्ष का परामर्श कार्य का अनुभव होना चाहिए।
3. फर्म का SEBI (Security Exchange Board of India) के साथ वैध पंजीकरण (Valid Registered Investment Advisor) होना अनिवार्य है, या मर्चेंट बैंकर।
4. फर्म द्वारा कम से कम 200 करोड़ का सरकारी विभाग, पी.एस.यू. या स्वायत्त निकाय के 'EPFO Exempted Trust' का पोर्टफोलियो गत 03 वर्षों में मैनेज किया गया हो तथा सरकारी विभाग, पी.एस.यू. या स्वायत्त निकाय के 'EPFO Exempted Trust' विगत 03 वर्षों में इसकी रिटर्न ई0पी0एफ0ओ0 द्वारा निर्धारित की गई ब्याज की दर से अधिक हो, का उल्लेख किया जाए (कोटेशन के साथ इसका विवरण भी दिया जाये)।
5. उत्तराखण्ड वन विकास निगम ई0पी0एफ0 ट्रस्ट के फण्ड को ई0पी0एफ0ओ0 द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सुरक्षित एवं सर्वोच्च प्रतिफल (Return) दिलाने एवं विनियोजन की सलाह का उत्तरदायित्व सलाहकार का होगा।
6. फर्म किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा काली सूची में न डाली गयी हो।
   (इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा)
7. कोटेशन एक सील्ड लिफाफे को सचिव, ई0पी0एफ0 ट्रस्ट, ई0पी0एफ0 अनुभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून के पते पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
8. कोटेशन उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि 29.07.2026 तक समय 12:00 बजे तक रहेगा।
9. अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
10. कोटेशन उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में फर्म के लेटर हेड पर अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाया जाना होगा।
11. कोटेशनप्रदाता को उल्लिखित कार्य के दृष्टिगत लिये जाने वाले पारिश्रमिक पर नियमानुसार समस्त करों की कटौती की जाएगी। भुगतान का आधार प्रस्तुत बिल एवं संतोषजनक कार्य रिपोर्ट होगी।
12. आवश्यकतानुसार फर्म के प्रतिनिधि या पार्टनर को मुख्यालय/कार्यालय में उपस्थित होकर निवेश/ई0पी0एफ0 से सम्बन्धित कार्यों के विषय में जानकारी देनी होगी, जिस पर कोई भी अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
13. ई0पी0एफ0 ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी सूचनाओं की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखना अनिवार्य होगा।
14. उक्त कार्य हेतु सफल कोटशनप्रदाता को भुगतान नीचे दिये गये Pay Matrix के अनुसार किया जाएगा।

/........2

Payment Matrix

क्र.सं.	समयावधि	Payment %	कार्य जो किये जाने है
प्रथम तिमाही	अनुबन्ध प्रारम्भ होने के 3 माह बाद	25 % (वार्षिक पारिश्रमिक का)	तिमाही निवेश परामर्श रिर्पोट जमा करने पर एवं सन्तोषजनक पाये जाने पर
द्वितीय तिमाही	अनुबन्ध प्रारम्भ होने के 6 माह बाद	25 % (वार्षिक पारिश्रमिक का)	छमाही निवेश समीक्षा रिर्पोट ई0पी0एफ0ओ0 निर्देशों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र।
तृतीय तिमाही	अनुबन्ध प्रारम्भ होने के 9 माह बाद	25 % (वार्षिक पारिश्रमिक का)	तिमाही निवेश व रिर्टन फाइलिंग स्टेटस् रिर्पोट।
चतुर्थ तिमाही	अनुबन्ध समाप्ति होने के 12 माह बाद	25 % (वार्षिक पारिश्रमिक का)	वार्षिक ई0पी0एफ0ओ0 ऑडिट की सफल पूर्णता में सहयोग/अन्तिम क्लोजर रिर्पोट जमा होने पर।

15. दोनो पक्षों का (वन निगम एवं सलाहकार) प्रयास होगा कि निवेश/ई0पी0एफ0 से सम्बन्धित किसी भी कार्य में विलम्ब न हो। अपरिहार्य परिस्थितियों में इसके परिणाम स्वरूप ई0पी0एफ0 ट्रस्ट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को कोई अतिरिक्त व्यय व दण्ड आदि की स्थिति का सामना करना पडता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सलाहकार की होगी।
16. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए एवं विवाद की स्थिति में सलाहकार को किसी भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा एवं अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, ई0पी0एफ0 ट्रस्ट/महाप्रबन्धक (उत्पादन) का होगा।
17. ई0पी0एफ0 ट्रस्ट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को बिना कारण बताये किसी भी कोटेशन को स्वीकार/अस्वीकार एवं निरस्त करने का अधिकार होगा।
18. सलाहकार को उत्तराखण्ड प्रक्योरमेंट नियमावली–2025, ई0पी0एफ0ओ0 एवं **SEBI** द्वारा जारी नियमों (समय–समय पर संशोधन) तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
19. ई0पी0एफ0 ट्रस्ट, उत्तरांचल वन विकास निगम सलाहकार द्वारा दी गयी सलाह को मानने के लिये बाध्य नही होगा एवं अन्तिम निर्णय सरप्लस धनराशि के विनियोग हेतु निवेश समिति का होगा ।
20. उपर्युक्त वर्णित शर्तों में यदि सलाहकार की सेवाओं में शिथिलता एवं पारदर्शिता का अभाव अथवा अन्य ऐसे कारक जिससे ई0पी0एफ0 ट्रस्ट को आर्थिक क्षति पंहुचने की सम्भावना होने या परिलक्षित होने पर बिना पूर्व सूचना के आपकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार ई0पी0एफ0 ट्रस्ट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को सुरक्षित होगा।

(कृष्ण कुमार)
सचिव
ई0पी0एफ0 ट्रस्ट